भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 342

जिसका उत्तर 27 नवंबर, 2024 को दिया जाना है

नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु नियम

342. श्रीमती मालविका देवीः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कतिपय नियम बनाने की योजना बना रही है या बनाने पर विचार कर रही है कि वर्तमान में कोयले का उपयोग करने वाली सभी कंपनियां बिजली उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के 10-20 प्रतिशत स्त्रोतों का उपयोग करे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) कोयले के उन नए भंडारों की संख्या का ब्यौरा उनके स्थानों सहित क्या है जिनकी नीलामी की जानी है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : संशोधित टैरिफ नीति, 2016 के प्रावधानों के तहत, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 27 फरवरी 2023 की अधिसूचना के तहत 1 अप्रैल, 2023 को या इसके बाद परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) वाले कोयला/लिग्नाइट-आधारित तापीय उत्पादन स्टेशनों की स्थापना करने वाली उत्पादक कंपनियों के लिए नवीकरणीय उत्पादन दायित्व (आरजीओ) को अधिदेशित किया गया है। इस अधिसूचना में प्रावधान है कि:

(i) कोयला/लिग्नाइट आधारित तापीय उत्पादन स्टेशन स्थापित करने वाली और 1 अप्रैल 2023 को या इसके बाद परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) वाली किसी भी उत्पादन कंपनी को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता (मेगावाट में) अर्थात कोयला/लिग्नाइट-आधारित तापीय उत्पादन स्टेशन की न्यूनतम चालीस प्रतिशत (40%) क्षमता (मेगावाट) का नवीकरणीय

उत्पादन दायित्व (आरजीओ) स्थापित करने या ऐसी क्षमता के बराबर नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद और आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी।

(ii) 1 अप्रैल 2023 और 31 मार्च 2025 के बीच परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) के साथ कोयला/लिग्नाइट आधारित तापीय उत्पादन स्टेशन को 1 अप्रैल 2025 तक 40% के आरजीओ का अनुपालन करना आवश्यक होगा और 1 अप्रैल 2025 के बाद परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) के साथ किसी अन्य कोयला/लिग्नाइट आधारित तापीय उत्पादन स्टेशन को सीओडी द्वारा 40% के आरजीओ का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

(iii) कैप्टिव कोयला/लिग्नाइट आधारित तापीय उत्पादन स्टेशन को आरजीओ की आवश्यकता से छूट दी जाएगी बशर्ते कि वह केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित नवीकरणीय क्रय दायित्वों को पूरा करता हो।

(ख) : कोयला खानों की नीलामी करना एक सतत प्रक्रिया है। जब कभी कोई कोयला ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होता है, उस पर नीलामी के लिए विचार किया जा रहा है।

*****